भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2603

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

डब्ल्यूसीएल द्वारा खुले मुहाने वाले खानों में खनन

2603. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) द्वारा रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुले मुहाने वाले नए खानों में खनन के लिए अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और इससे कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या डब्ल्यूसीएल ने इसके द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया है और उनका समुचित पुनर्वास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डब्ल्यूसीएल द्वारा खुले मुहाने वाले खानों में खनन के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के कारण प्रभावित अनेक परिवारों को अभी तक कोई मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : विवरण संलग्न है।

(ख) : परियोजना प्रभावित परिवारों को डब्ल्यूसीएल द्वारा महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 22.08.2012 के संकल्प के तहत विनिर्दिष्ट भूमि दरों के अनुसार भूमि मुआवजे का भुगतान करके मुआवजा दिया जाता है और कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2012 के प्रावधानों के अनुसार कोयला खनन एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए उनकी कृषि भूमि के अधिग्रहण की एवज में भूमि-वंचितों को रोजगार प्रदान किया जाता है।

अपनी वासभूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित परियोजना प्रभावित परिवारों को लोक निर्माण विभाग, जो एक सरकारी एजेंसी है, द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार वासभूमि संरचना की लागत, राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित रेडी रेकनर में उल्लिखित दरों के अनुसार वासभूमि की लागत और सीआईएल की आरएंडआर नीति, 2012 में प्रावधानों के अनुसार 100 वर्ग मी. के विकसित भूखंडों सहित स्थानांतरण भत्ता, परिवहन भत्ता और निर्वाह भत्ता के भुगतान **अथवा** 3 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान करके पुनर्वास स्थलों पर पुनर्वासित किया जाता है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान रोजगार के बदले रोजगार/मौद्रिक मुआवजे और विस्थापित पीएएफ की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रदान किए गए रोजगार/आरएंडआर लाभों की सं.	पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या	वासभूमि की लागत, वासभूमि संरचना की लागत, परिवहन भत्ता और निर्वाह भत्ता आदि के लिए भुगतान की गई राशि। (करोड़ में)
2019-20	108	58	2.623
2020-21	100	65	2.570
2021-22	72	23	0.990
2022-23	55	48	1.970
2023-24	147	15	0.600
2024-25 नवंबर, 24 तक	177	18	0.790

(ग) और (घ) : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में आरएंडआर के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे/लाभों के लिए कोई मामला लंबित नहीं है। तथापि, कुछ मामलों में, पारिवारिक विवाद; न्यायालय में सिविल मुकदमों की लंबितता, अथवा अस्पष्ट स्वामित्व के कारण, भूमि मुआवजे की राशि को वास्तविक स्वामियों को वितरण करने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल (सीबीए), नागपुर में जमा किया गया है।

भाग (क) पर विवरण

वर्ष	खान नाम/परियोजना	अधिग्रहित भूमि का विवरण (हे. में)			कुल (हे.)	सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि		काश्तकारी भूमि में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या
		काश्तकार	सरकार	वन		धारा 9 (1) का.आ.सं.	धारा 9(1) के तहत प्रकाशन की तारीख	
2019-20	समामेलित इंदर कैम्पटी ओसी	69.14	2.63	0.00	71.77	766	18/05/2019	74
2020-21	सिंगोरी ओसी फेज II	81.78	0.00	0.00	81.78	398	02/05/2020	110
	समामेलित इंदर कैम्पटी ओसी	51.65	9.84	0.00	61.49	845	11/12/2021	56
2021-22	अदासा यूजी से ओसी	285.26	35.87	0.00	321.13	372	20/06/2021	229
2022-23	भानेगांव ओसी	211.74	34.53	6.70	252.97	526	02/02/2023	255 (लगभग)
2023-24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2024-25 नवंबर, 24 तक	सिंगोरी दीप ओसी	260.17	20.49	34.74	315.00	1926	06/05/2024	300 (लगभग)

****